न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न0 विविध **234/2019**

प्रार्थी :–

1. बंशाराम पुत्र थानाराम जाति भील निवासी बिठुजा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :– 1. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956
वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :– 1. श्री पूनमराम चौधरी प्रार्थीगण वकील

आदेश

दिनांक :–26.2.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि मौजा जानियाना पटवार क्षेत्र जानियाना भू.अ. नि. क्षेत्र कनाना तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में खेत खसरा न0 271 रकबा 14.02 बीघा व खसरा न. 431/255 रकबा 25 बीघा में आया है। उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि, खसरा नं. 271 में 1/2 हिस्सा व खसरा नं. 431/255 में 3/4 हिस्सा प्रार्थी के कब्जा काश्त व खातेदारी का है। प्रार्थी का परिवार व गांव में पूर्व में बोलचाल भाषा में बंशा प्रचलित रहा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बंशाराम पुत्र थानाराम है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज आधार, परिचय पत्र बैक पासबुक, पैनकार्ड इतयादि में बंशाराम नाम से है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड खतौनी में नाम दर्ज करते वक्त सहवन से बशीलाल नाम दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी ग्रार्मीण व देहाती अनपढ व्यक्ति है। उक्त नाम बाबत हुई त्रुटि का पूर्व में ज्ञान नहीं रहा है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि क रेकर्ड में बंशीलाल नाम दर्ज होने से अन्य दस्तावेज बंशाराम के नाम से होने से प्रार्थी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयां का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी द्वारा हाल ही में राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी व भू निरीक्षक को निवेदन किया गया, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थी के नाम बाबत जांच की गई जिस किन्तु नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नही होने से प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी बंशीलाल की जगह बंशाराम नाम की दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन दिनांक 12.12.2019 को जारी किया गया । विप्रार्थी उपस्थित ।

प्रार्थी व प्रार्थी वकील को सुना गया तथा हमने प्रकरण का गौर से अवलोकन किया एवं प्रार्थी का सही नाम के सम्बन्ध में परिचय पत्र, आधार कार्ड,, पेन कार्ड , वं अन्य सरकारी

Scanned by CamScanner

व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों तहसीलदार व भू.अ निरीक्षक कनाना, उपतहसीलदार जसोल की रिपोर्ट के आधार पर व संलग्न दस्तावेजता का अवलोकन व अध्ययन किया गया। जिसमे प्रार्थी का सही नाम बंशाराम पुत्र थानाराम है ।जबकि प्रार्थी आराजी मौजा जानियाना में बशीलाल पुत्र थानाराम दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जानियाना के खेत खसरा न0 271 व खसरा न. 431/255 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बंशीलाल पुत्र थानाराम के स्थान पर बंशाराम पुत्र थानाराम अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा

Scanned by CamScanner